Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में छेडछाड करने व दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी बंटी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कठोर कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त बन्टी पुत्र पालेराम निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा नाबालिग के साथ घर में घुस कर छेडछाड करने व दुष्कर्म का प्रयास करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 947/20 धारा 452/354/354डी/376/511/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 01.10.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बन्टी को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 09 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी

है0का0 रविन्द्र
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

बागपत पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 सराहनीय कार्य

दिनांक 27-09-2025 को मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं थाना दोघट की मिशन शक्ति टीम की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर गौकश औरंगजेब पुत्र शकील को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम में मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी म0उ0नि0 निकिता एवं उ0नि0 बिरजू शर्मा शामिल थे।

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय बागपत द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी म0उ0नि0 निकिता एवं उ0नि0 बिरजू शर्मा को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्तिपत्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस

डायल-112 बागपत

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

"दिनांक: 01/10/2025 मिशन शक्ति के अंतर्गत 112 की त्वरित कार्यवाही"
महिला पीआरवी 6620 को सूचना मिली की एक लडकी बडे गांव टोल के पास अंडरपास के नीचे गुमशुम परेशान हालत में खडी है उक्त सूचना पर देरी न करते हुये महिला पीआरवी 6620 तत्काल उक्त स्थान पर पहुची वहां एक लडकी गुलाबी चुन्नी व सफेद पजांमी व सफेद कुर्ती पहने खडी थी उक्त लडकी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुहाना पुत्री शहजाद उम्र लगभग 17 वर्ष निवासी नई बस्ती अक्शा मस्जिद थाना खेकडा जनपद बागपत बताया और बताया कि मै घर से नाराज होकर आ गयी हूँ। उक्त लडकी के परिजनो से सम्पर्क कर उसके पिता शहजाद पुत्र शगीर व भाई फरदीन से जानाकी दी गई। लडकी के भाई ने बताया कि यह घर से आज दिनांक 01.10.2025 समय 10.00 बजे बिना बताये चली गयी थी।
उक्त लडकी सुहाना को उसके पिता शहजाद पुत्र शगीर व भाई फरदीन पुत्र शहजाद को थाना खेकडा के माध्यम से बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे "मिशन शक्ति" अभियान के अंतर्गत यह कार्यवाही एक सराहनीय प्रयास है। बागपत पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपकी सहायता के लिए तत्पर है।

बागपत पुलिस

खेकडा

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

दिनांक 01.10.25 को श्रीमती रेनू पत्नी जयकुमार निवासी ईदगाह रोड कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत नें थाना खेकडा के मिशन शक्ति केन्द्र पर उपस्थित आकर अपने पति जयकुमार के विरुद्ध शिकायत की कि मेरा पति मेरे साथ आये दिन मारपीट व गाली गलौच करता है। मेरे ऊपर शक करता है। मेरे पति मुझे छोडने की धमकी देता है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को लेकर चलाए जाने वाले अभियान/कार्यक्रमों के तहत थाना खेकडा पुलिस की महिला शक्ति केन्द्र टीम द्वारा पीडिता की सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीडिता के पति जयकुमार को महिला शक्ति केन्द्रपर बुलाया गया। पीडिता श्रीमती रेनू व पति जयकुमार को एक साथ महिला शक्तिकेन्द्र में बैठाया गया दोनो की काउन्सलिग करते हुए दोनो पक्षो को समझाया गया। श्रीमती रेनू व जयकुमार अपने बच्चो के भविष्य के बारे सोचते हुए एक साथ रहने को राजी हो गये तथा पीडिता श्रीमती रेनू को उसके पति के साथ खुशी -खुशी रवाना किया गया।

प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर सेल दिनाँक 01.10.2025

साइबर सेल एवं थाना दोघट पुलिस की संयुक्त टीम ने क्यू० आर कोड स्कैन के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (रजि० न०-UK07TE1289), 02 मोबाइल फोन, 01 डमी मोबाइल 01 क्यू० आर/बार कोड होल्डर (स्पीकर), 02 बार कोड/क्यू० आर कोड/स्कैनर, 01 पेन कार्ड, 01 आधार कार्ड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक-23.09.2025 को थाना दोघट पर वादी अंकित राणा ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि पेट्रोल पंप (राणा फिलिंग स्टेशन) दाहा पर 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमारे पेट्रोल पंप के बार कोड/क्यू०आर0 कॉड पर अपना बार कोड/क्यू० आर कोड लगा दिया गया है जिससे कि पैसा उनके खाते में जा रहा है इस सुचना पर तत्काल टीम गठित कर साइबर सेल के माध्यम से जाँच प्रारंभ की गयी और तथ्यों के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 244/2025 धारा-318(4) बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशानुसार में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर सेल जनपद बागपत व थाना दोघट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना दोघट के मु0अ0सं0-244/2025 धारा-318(4) बी०एन०एस० से सम्बन्धित तथा विवेचना/जाँच के क्रम में तथ्यों जैसे अकाउन्ट नं, मोबाइल नं आदि से प्रकाश में आये शातिर 02 अभियुक्तों रिंकू कुमार व विपिन को दाह बरनावा रोड स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (रजि० न०-UK07TE1289), 02 मोबाइल फोन, 01 डमी मोबाइल 01 क्यू० आर/बार कोड होल्डर (स्पीकर), 02 बार कोड/क्यू० आर कोड/स्कैनर, 01 पेन कार्ड, 01 आधार कार्ड बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि वर्तमान में हम दोनों एक साथ जनपद हरिद्वार में फ़ास्ट फ़ूड बेचने का काम करते थे हम दोनों का काम ठीक से नही चल पा रहा था और जिससे हमें भारी नुकसान भी हो गया था फिर हम दोनों ने जल्दी पैसा कमाने के उद्देश्य से रिंकू के बैंक अकाउंट के क्यूआर कोड बनवाकर अलग अलग तिथियों में अलग अलग जनपद एवं अन्य राज्यों के पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर अपने अकाउंट के क्यूआर कोड चिपका दिए जिससे हमारे खाते में भारी भरकम धनराशी (लाखो रूपए) भी आई है । हम दोनों ने मिलकर जनपद बागपत, मुज्जफरनगर, सहारनपुर एवं अन्य राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर क्यूआर कोड लगाकर स्कैम करते हैं । आज भी यहाँ किराये की मोटर साइकिल से पेट्रोल पंप पर अपना क्यूआर कोड/बार कोड लगाने के लिए आये थे कि आपने पकड़ लिया।

अन्य अपराध/ अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के खाते में पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा संचालित **NCRP PORTAL** पर थाना दोघट बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की शिकायते दर्ज है जो निम्न है-

1. एकनोलेजमेंट नंबर 31209250011572 थाना माजरा जिला सिरमौर,हिमाचल प्रदेश दिनाँक-18.09.2025

2. एकनोलेजमेंट नंबर 32509250028872 थाना अमरगढ़ जिला मलेर कोटला ,पंजाब दिनाँक-13.09.2025
3.मु0अ0सं0- 244/2025 धारा-318(4) बी०एन०एस० थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण:-

पकड़े गए अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त

- 01 घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल(रजि० न०-UK07TE1289)
- 02 मोबाईल फोन,
- 01 डमी मोबाइल फोन,
- 01 क्यू० आर/बार कोड होल्डर (स्पीकर),
- 02 बार कोड/क्यू० आर कोड
- 40 बार कोड/क्यू०आर कोड (कागज़ वाले)
- 01 पेन कार्ड,
- 01 पेन कार्ड,
- एक बैग

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-रिंकू कुमार पुत्र नरेन्द्रपाल सिंह उर्फ़ घोड़ाराम निवासी वार्ड न०-9 निकट मौर गैस सर्विस, मौड़ं मंडी थाना-मौड़ं मंडी जिला-भटिंडा,पंजाब उम्र करीब-30 वर्ष।
2-विपिन पुत्र श्री सतपाल सिंह निवासी ग्राम अर्गल थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब-26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक कैलाश चन्द्र प्रभारी साइबर सेल जनपद बागपत।
2. उ०नि० उपदेश शर्मा साइबर सेल जनपद बागपत।
3. उ0 नि0 दिग्विजय सिंह, साइबर सेल जनपद बागपत।
4. उ०नि० अमरदीप,साइबर जनपद बागपत।
5. उ०नि० सौम्य कृष्णात्रेय,साइबर सेल जनपद बागपत।
6.उ०नि० रजत कुमार ,थाना दोघट जनपद बागपत।
7.उ०नि० प्रांशु राजपूत ,थाना दोघट जनपद बागपत।
8.ह०का0 मनपाल , थाना दोघट जनपद बागपत।

9.है०का0 रवि, साइबर सेल जनपद बागपत ।

10.का0 अंकुल कुमार,साइबर सेल जनपद बागपत ।

11.का0 अमरेश कुमार, साइबर सेल जनपद बागपत ।

प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद बागपत दिनाँक 01.10.2025

साइबर क्राइम थाना बागपत ने डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन टास्क फ्रॉड, शेयर मार्किट इनवेस्टमैंट, आदि के माध्यम से साईबर ठगी कर विभिन्न लोगो से धोखाधड़ी करने वाले अन्तराष्ट्रीय गिरोह के आठ शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05-04-2025 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी विजय कुमार एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया वादी के पास एक ग्रुप वॉट्स ऐप से वीडियो कॉल आई , वॉट्स ऐप नंबरों पर जज, पुलिस अधिकारी ,वकील की डीपी लगी हुई थी। वादी को वीडियो कॉल पर बताया कि आपके आधार कार्ड से बहुत सारे फाइनेन्सियल फ्राड किये जा रहे है जिस कारण मुम्बई पुलिस द्वारा वादी मुकदमे को डिजिटल अरैस्ट किया गया और वादी मुकदमे को बताया गया कि आपकी सारी धनराशि को हम कस्टडी में लेकर अपनी निगरानी में रखेंगे तथा वादी को डरा धमकाकर जितनी भी धनराशि वादी के खाते मे है उसे धोखाधडी करने वाले व्यक्ति ने IDFC BANK के खाते में 7 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिया। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या-16/2025 धारा 318(4), 308(2), 205, 111(2)ii BNS व 66(D) IT Act, पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशानुसार जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत तथा विवेचना के क्रम में थाना साइबर क्राइम बागपत द्वारा मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(4), 308(2), 205, 111(2)ii BNS व 66(D) IT Act, में प्रकाश में आए तथ्यों जैसे अकाउन्ट नं, मोबाइल नं आदि के आधार पर प्रकाश में आये 08 अभियुक्तों आरिफ, आसिफ, हर्ष गोयल उर्फ चिक्की, आमिर, तुषार, ललित, उज्जवल गोयल, विशु को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 10 मोबाईल फोन आईफोन आदि 19 एटीएम डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड , 03 फर्जी सिम कार्ड, 02 ड्राइविंग लाइसेंस ,03 पैन कार्ड,03 आधार कार्ड 01 बलैंक चैक IDFC BANK हस्तलिखित कागजात ठगी से सम्बन्धित अंगूठी पीली धातु 04, अंगूठी सफेद धातु 02, पीली धातु चेन 01, पीली धातु का कड़ा 01 ,सफेद धातु ब्रेसलेट 02, एक लाकेट पीली धातु ओम लिखा 01 , एक कान की वाली पीली धातु 01, एक महिद्रा थार कार UP17AB 8988 व एक महिद्रा स्कार्पियो UP17 Z 8411 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- **श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25000 रुपये के पुरस्कृत किया गया है।**

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम सभी लोग बड़ौत जनपद बागपत के रहने वाले हैं, हम सभी लोग दोस्त है । अभियुक्त हर्ष गोयल ने बाताया कि मैं और तुषार को मोहित जैन ने इस साइबर फ्राड के बारे में जानकारी दी कि तुम लोगों का अकउंट खुलवाकर उसकी समस्त किट (एटीएम, खाते मे रजिस्टर्ड नंबर की सिम, पासबुक आदि) अपने पास रखकर मुझे सारी डिटेल वॉट्स ऐप पर भेज देना जिसमें डिजीटल अरेस्ट, टेलीग्राम पर टास्क देना, इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर, शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेन्ट, ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग/इन्वेस्टमेन्ट की वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करेंगे, सबसे पहले हर्ष गोयल व तुषार ने गेमिंग की बैवसाइट में अपने अकाउंट व अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करने लगे, जब हमारे अकाउंट ब्लाक होने लगे तो हमने अपने साथी आरिफ का एक कैनरा बैंक का उकाउंट लिया जिसमें हमने फ्रॉड की रुपये डलवाये, धीरे धीरे हम लोगों का लालच बढना शुरू हो गया तो हमने अपने साथ विशू तोमर, उज्जवल, आमिर व आसिफ ललित आररिफ को अपने ग्रुप में जोड लिया । दुबई से हमें नई नई वेबसाइट व कालिंग का डाटा मिलता था । हम लोग नये नये लोगों के साथ साइबर क्राइम की ठगी करने के लिए कॉल कर अपनी बेवसाइट का लिंक वॉटस ऐप, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भेजकर फ्रॉड करते थे । हम लोगों को कॉल कर बोनस का अच्छा लालच देकर फसाते थे जब गेम खेलने वाले लोग ज्यादा धनराशि हमारी वेबसाइट पर लगा देते थे तो हम लोग उस यूजर को ब्लॉक कर देते थे । हम लोग समय समय पर इस प्रकार की वेबसाइट बनवाने तथा डाटा /सिम कार्ड आदि के लिए दुबई को जाते हैं

इस काम में फैजान, शुभम कुन्डू जोकि दुबई में है यह भी हमारे साथ साईबर फ्राड का काम करते है और हमारे साथ इस काम में मोहित जैन, रमन, वकार, साइबर फ्राड में शामिल हैं जो इस समय दुबई में रह रहे हैं और दुबई से ही इन बेवसाइट व आवश्यक लिंक, मोबाईल न0 आदि देते है। इमरान भी खाते और सिम कार्ड हम लोगो को देता था। मोहित के साथ दुबई में और भी बहुत से लोग है जो हम सबने मिलकर नौकरी के बहाने से वहा भेजे है। अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम सभी polytechnic तथा स्कूली पढाई साथ में करते थे, तभी से हमारी अच्छी दोस्ती है। पढाई के बाद हम जल्दी पैसे कमाने के लालच में इस प्रकार की साईबर ठगी का काम शुरु कर दिया।

अन्य अपराध/ अपराधिक इतिहास

अभियुक्त तुषार रघुराज सिंह के खाते में पूर्व में ही मा0 भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP PORTAL पर थाना साईबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से जिनमें

1. एकनोलेजमेंट नंबर 33209240023071 थाना कस्बा, राज्य कोलकाता साउथ सुबुरबन डिविजन, राज्य पश्चिम बंगाल में कुल एक करोड़ पचहत्तर लाख (1,75,00,000) रुपये दिनांक 07.09.2024
2. एकनोलेजमेंट नंबर 23102250018915 थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ, राज्य उत्तर प्रदेश में अट्ठानवे हजार (98,000) रुपये) दिनांक 02.02.2025
3. एकनोलेजमेंट नंबर 30502250011028 थाना नशरीगंज जनपद रोहताश राज्य बिहार में सत्तै हजार (17,000) रुपये) दिनांक 15.02.2025
4. एकनोलेजमेंट नंबर 32912240037237 जनपद थेना, राज्य तमिलनाडू में उन्नीस हजार (19000 रुपये) की फ्राड शिकायत दर्ज हैं। दिनांक 30.12.2024
5. एकनोलेजमेंट नंबर 20803240017136 शाहदरा, दिल्ली में चार लाख चौदह हजार (4,14,000) रुपये की फ्राड शिकायत दर्ज हैं, दिनांक 01.03.2024

कुल 1,80,48,000 रुपये की शिकायतें दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरणः-पकड़े गए अभियुक्तगणों से घटना में प्रयुक्त

- 10 मोबाईल फोन आईफोन आदि ।
- 19 एटीएम डेबिट कार्ड ,
- क्रेडिट कार्ड ,
- 03 फर्जी सिम कार्ड,
- 02 ड्राइविंग लाइसेंस ,

- 03 पैन कार्ड,
- 03 आधार कार्ड
- 01 बलैंक चैक IDFC BANK
- हस्तलिखित कागजात ठगी से सम्बन्धित
- अंगूठी पीली धातु 04
- अंगूठी सफेद धातु 02
- पीली धातु चेन 01
- पीली धातु का कड़ा 01
- सफेद धातु ब्रेसलेट 02
- एक लाकेट पीली धातु ओम लिखा 01
- एक कान की वाली पीली धातु 01
- एक महिद्रा थार कार UP17AB 8988
- एक महिद्रा स्कार्पियो UP17 Z 8411

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. आरिफ पुत्र इकबाल अहमद निवासी 6/396 पट्टी चौधरान, लक्ष्मीबाई प्राइमरी विद्यालय के पास थाना बड़ौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- पॉलीटेक्निक)
2. हर्ष गोयल पुत्र संजीव गोयल निवासी 19/426 आर्य नगर, नेहरू रोड बड़ौत थाना बडौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- पॉलीटेक्निक)
3. आसिफ पुत्र इकबाल अहमद निवासी 6/396 पट्टी चौधरान, लक्ष्मीबाई प्राइमरी विद्यालय के पास, बावली रोड बड़ौत, थाना बागपत (शैक्षिक यौग्यता- पॉलीटेक्निक)
4. आमिर पुत्र अब्दुल नदीम निवासी बावली रोड, निकट ठाकुरद्वारा बड़ौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- पॉलीटेक्निक)
5. तुषार पुत्र रघुराज सिंह निवासी 21/661 गांधी रोड, राम कॉलोनी बडौत थाना बडौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- 12TH)
6. विशु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हिलवाड़ी, इंटर कॉलेज के पास थाना बडौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- BSC)

7. ललित पुत्र मुकेश निवासी गली नंबर 1 आर्य नगर मकान नंबर 19/124 नेहरू रोड बड़ौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- B.A.)

8. उज्जवल गोयल पुत्र मनोज गोयल निवासी मकान नंबर 15/210 आर्य नगर, नेहरू रोड, बड़ौत थाना बडौत बागपत (शैक्षिक यौग्यता- 12TH)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक ब्रजेश सिंह, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, बागपत।

2. निरीक्षक संतसरण सिंह, थाना साइबर क्राइम,बागपत।

3. उ0 नि0 राघवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।

4. उ0 नि0 नरेशपाल सिंह, थाना साइबर क्राइम, बागपत।

4. है0 का0 उमेश वर्मा,थाना साइबर क्राइम, बागपत।

5. है0 का0 दीपक कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत।

6. का0 ललित मोरल, थाना साइबर क्राइम, बागपत।